

(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

सार्वजनिक सूचना सं० 6 (आर.ई.-2012)/2009-2014
नई दिल्ली: दिनांक 20 जून, 2012

विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 (परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्र) को अधिसूचित करते हैं। परिशिष्ट 37क, 37ग और 37घ जो कि दिनांक 05 जून, 2012 से निर्यातों के लिए प्रभावी माने जाएंगे, को छोड़कर यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह०/-
(अनुप के० पूजारी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
ई मेल :- dgft@nic.in

(फा.सं. 01/61/180/0050/एएम13/पीसी-3 से जारी)